कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक: 2875 / वाद सं0–एल–~~0103~~ 0020 / डोईवाला / 2025 दिनांक 11.12.2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री गोविन्द सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह/भू–स्वामी माजरीग्रांट शेरगढ मार्ग, डेन्टल कालेज के पीछे हरिद्वार रोड डोईवाला, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 40 बीघा भूमि पर मार्ग निर्माण समतलीकरण एवं भू–विन्यास का कार्य बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के कारण विपक्षी के विरूध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्त करने के आदेश पारित किये जाते है। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा समस्त अवैध निर्माण को दिनांक 24/12/25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तिकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष डोईवाला को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1– नायब तहसीलदार डोईवाला को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।
2– थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कश्ट करें।
3– क्षेत्रीय सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं एवं प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर स्थल में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4– नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक वाहन एवं जे0सी0बी मशीन संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5– श्री गोविन्द सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह/भू–स्वामी माजरीग्रांट शेरगढ मार्ग, डेन्टल कालेज के पीछे हरिद्वार रोड डोईवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। स्थल पर उपस्थित रहें अपना समान हटा लें। शेष शर्तें पूर्व पत्रांक 2790 दिनांक 26.09.2025 के अनुसार मान्य होगी।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।